जिला निबंधन कार्यालय, कटिहार

निबंधन विभाग

मणि रंजन, बि०नि०से०
जिला अवर निबंधक,
कटिहार।
दुरभाष सं०- 06452-239175

पत्रांक :- 179/नि०   दिनांक :- 28.02.2020

सेवा में,

जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी,
कटिहार।

विषय :- **निबंधन कार्यालयों में दर्ज रोक सूची को जिला के बेवसाईट पर प्रदर्शित करने के संबंध में।**

प्रसंगः- निबंधन महानिरीक्षक, बिहार पटना का पत्रांक 736 दिनांक 18.02.2020

महाशय,

उपयुर्क्त विषयक प्रसांगिक पत्र के आलोक में कहना है कि जिला निबंधन कार्यालय, कटिहार में विभिन्न अंचलों के अन्तर्गत अवस्थित सम्पत्तियों पर रोक लगी हुई है, जो अभी तक सार्वजनिक नहीं की गयी थी।

अतः निबंधन महानिरीक्षक, बिहार पटना के विभागीय निर्देश संख्या 736 दिनांक 18.02.2020 द्वारा आदेशित है कि अवस्थित सम्पत्तियों पर लगी रोक से संबंधित सूची सार्वजनिक की जाय, ताकि निबंधनार्थियों को निबंधन कराने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

उक्त के आलोक में आपसे अनुरोध है कि जिला निबंधन कार्यालय, कटिहार तथा अवर निबंधन कार्यालय, बारसोई से संबंधित रोक सूची अंचलवार कार्यालय द्वारा तैयार कर (सी०डी० संलग्न करते हुए), जिला के बेवसाईट पर अपने स्तर से सार्वजनिक करने की कृपा की जाय।

अति आवश्यक।

अनुलग्नकः– (1) विभागीय निर्देश की प्रति।
(2)सी०डी० की प्रति 01 अदद।

विश्वासभाजन

जिला अवर निबंधक
कटिहार
28/2/2020

28/02

DSR

पत्रांक– IX–8–11/2017– 736 /

ई–मेल

बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)

जिला पदाधिकारी
कटिहार (बिहार)

प्रेषक,

बी0 कार्तिकेय धनजी, भा.प्र.से.,
निबंधन महानिरीक्षक,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला अवर निबंधक।

पटना, दिनांक– 18.02.2020

विषय : – निबंधन कार्यालयों में दर्ज रोक सूची को जिला के बेवसाईट पर प्रदर्शित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि निबंधन कार्यालयों में विभिन्न अंचलों के अंतर्गत अवस्थित सम्पत्तियों पर लगी रोक से संबंधित रोक सूची सार्वजनिक नहीं रहने के कारण रोक सूची में दर्ज सम्पत्ति के बारे में क्रेता को जानकारी प्राप्त नहीं होती है और ऐसे सम्पत्ति के अंतरण के दस्तावेज को निबंधित कराने हेतु सरकारी शीर्ष में राशि जमा करने के उपरांत इसकी जानकारी होने पर निबंधनार्थी को अनावश्यक परेशानी एवं आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ता है और इससे विभाग की छवि प्रभावित होती है।

कार्यालय में पारदर्शिता एवं आम जन को रोक से संबंधित जानकारी सुलभ रूप से उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया जाता है कि जिन सम्पत्तियों/व्यक्तियों से संबंधित सम्पत्तियों पर नियमानुसार रोक प्रभावी है उसकी अंचलवार सूची हस्ताक्षरित करते हुए जिला के बेवसाईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

(बी0 कार्तिकेय धनजी)
निबंधन महानिरीक्षक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– IX–8–11/2017– 736 /, पटना, दिनांक– 18.02.2020

प्रतिलिपि, सभी समाहर्त्ता–सह–जिला निबंधक/सभी प्रमण्डलीय सहायक निबंधन महानिरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधन महानिरीक्षक,
बिहार, पटना।